प्रेषक,

भगवती प्रसाद सक्सेना
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
गोरखपुर

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

पत्रांक 26 दिनांकः गोरखपुर 7 ~~मार्च~~ अप्रैल 2022

विषय– उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्वैच्छिक परिवार नियोजन लाभ योजना के अन्तर्गत विशेष व्यक्तिगत वेतन प्रदान करने के संबंध में ।

सन्दर्भ–1–संदर्भित पत्रांक 129 / 1 मिर्जापुर / दिनांकित 17.01.2020,
2–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपनिबन्धक (प्रकीर्ण) द्वारा प्रेषित पत्रांक 3476 / IV-2688/Admn(A) दिनांकित 02.03.2020
3–Application Id 529 दिनांकित 07.03.2020 ।

महोदय,

ससम्मान अनुरोध है कि मेरे दो सन्तान क्रमशः पुत्र श्री देवेश सक्सेना की जन्म तिथि 13.01.1995 एवं दूसरी सन्तान पुत्री कुमारी देवान्शी की जन्म तिथि 22.04.1999 है। उपरोक्त दोनो सन्तानों के मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करता हूँ । दिनांक 22.04.2009 को मेरी दूसरी सन्तान पुत्री कुमारी देवान्शी की उम्र 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उस समय मैं अपर जनपद न्यायाधीश इन्ट्रीलेबल (51550–63080 के वेतनमान) में कार्यरत रहा हूँ। यही मेरी दो सन्ताने मात्र है। पुत्र बड़ा तथा पुत्री छोटी है। दिनांक 22.04.2009 को मेरी उम्र 40 वर्ष से अधिक रही है।

अतः आप से सविनय अनुरोध है कि मुझे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–परिवार कल्याण 4601 / 16–11–79–9–155–99 लखनऊ चिकित्सा अनुभाग–2 दिनांकित 23.02.1980 के अनुसार स्वैच्छिक परिवार नियोजन लाभ योजना के अन्तर्गत विशेष व्यक्तिगत वेतन का भुगतान एरीअर सहित करने की कृपा करें।

आभार सहित सादर प्रेषित ।

संलग्नक–1– पुत्र एवं पुत्री के उम्र के संबंध में मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र
2–मेरे द्वारा निर्गत घोषणा।
3– सलग्न पत्रो की छाया प्रतियॉ ।

भवदीय,

(भगवती प्रसाद सक्सेना)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण गोरखपुर